प्रेस नोट, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 31.10.2026,

प्रेस नोट, दिनांकः 31.10.2026
थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

खेत में झटका मशीन के तार में विद्युत करंट प्रवाहित करने से महिला की मृत्यु के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त झटका मशीन व तार बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 317/2026 धारा 105 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अशोक मिश्र उर्फ मुन्ना मिश्र को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त झटका मशीन व तार बरामद किया गया।

घटना का विवरण- दिनांक 22.09.2026 को ग्राम नगरहन का पुरवा डाड़ी, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ में अभियुक्त अशोक मिश्र उर्फ मुन्ना मिश्र द्वारा अपने खेत में झटका मशीन के तार में विद्युत करंट प्रवाहित किया गया था। उक्त तार की चपेट में आने से महिला की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 317/2026 धारा 105 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण- दिनांक 31.10.2026 को उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह कां0 प्रमेश यादव एवं कां0 राज किशोर यादव क्षेत्र में देखभाल, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम नगरहन का पुरवा डाड़ी स्थित अभियुक्त के घर के पास से अभियुक्त अशोक मिश्र उर्फ मुन्ना मिश्र पुत्र अज्ञात, निवासी ग्राम नगरहन का पुरवा डाड़ी, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 63 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने खेत में झटका मशीन के तार में विद्युत करंट प्रवाहित करने की बात स्वीकार की। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर के सामने स्थित झोपड़ी से घटना में प्रयुक्त झटका मशीन एवं उससे जुड़े तार बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अशोक मिश्र उर्फ मुन्ना मिश्र, उम्र करीब 63 वर्ष, निवासी ग्राम नगरहन का पुरवा डाड़ी, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
1-घटना में प्रयुक्त 01 अदद झटका मशीन मय तार।
2-विद्युत कनेक्शन में प्रयुक्त लाल रंग का तार।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दीपक कुमार यादव, कां0 प्रमेश यादव एवं कां0 राज किशोर यादव, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट, दिनांकः 31.10.2026
थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा चोरी की गई 02 बकरियां बरामद कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी जेठवारा के नेतृत्व में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 323/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित चोरी की 02 बकरियां बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण- दिनांक 30/31.10.2026 की रात्रि में वादी मुकदमा की 04 बकरियां चोरी हो गई थीं। उक्त प्रकरण में थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 323/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण- दिनांक 31.10.2026 को उ0नि0 राजेन्द्र पाण्डेय मय हमराह हे0का0 सत्येन्द्र कुमार एवं रि0का0 रवि कुमार द्वारा अभियुक्त दीपक गौंड पुत्र श्यामलाल गौंड निवासी ग्राम देल्हूपुर, रानीगंज कैथौला, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से पूछताछ के उपरांत उसकी निशानदेही पर ग्राम उदापुर से मुकदमे में चोरी गई 02 बकरियां बरामद की गईं। मौके पर वादी मुकदमा एवं गांव के अन्य लोगों को बुलाकर बकरियों की तस्दीक कराई गई, जिसमें बकरियां वादी मुकदमा की होना पाया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त दीपक गौंड पुत्र श्यामलाल गौंड, निवासी ग्राम देल्हूपुर, रानीगंज कैथौला, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम उदापुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपक गौंड पुत्र श्यामलाल गौंड, निवासी ग्राम देल्हूपुर, रानीगंज कैथौला, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
02 अदद चोरी की बकरियां।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजेन्द्र पाण्डेय, हे0का0 सत्येन्द्र कुमार, रि0का0 रवि कुमार एवं हे0का0 अशोक सिंह (चालक), थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक: 31.10.2026
थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से संबंधित 01 नफर वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा मा0 एएसजे/एफटीसी प्रतापगढ़ से जारी गिरफ्तारी अधिपत्र, एसटी संख्या 77/15, मु0अ0सं0 537/14, धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वारंटी अभियुक्त सुनील गुप्ता पुत्र शिवबहादुर गुप्ता, निवासी ग्राम पूरे हरिकिशुन, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 317/12, धारा 392/411 भादवि, थाना लालगंज।
2. मु0अ0सं0 384/15, धारा 379 भादवि, थाना लालगंज।
3. मु0अ0सं0 463/15, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना लालगंज।
4. मु0अ0सं0 528/15, धारा 379/411/420 भादवि, थाना संग्रामगढ़।
5. मु0अ0सं0 568/15, धारा 379 भादवि, थाना लालगंज।
6. निल/15, धारा 41/411 भादवि, थाना लालगंज।

7. निल/15, धारा 41/411/414 भादवि, थाना लालगंज।
8. मु0अ0सं0 04/16, धारा 394/411 भादवि, थाना संग्रामगढ़।
9. मु0अ0सं0 05/16, धारा 307 भादवि, थाना संग्रामगढ़।
10. मु0अ0सं0 06/16, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना संग्रामगढ़।
11. मु0अ0सं0 48/16, धारा 379 भादवि, थाना कोहंडौर।
12. मु0अ0सं0 304/16, धारा 379/411/413 भादवि, थाना लालगंज।
13. मु0अ0सं0 305/16, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना लालगंज।
14. मु0अ0सं0 378/16, धारा 379/411 भादवि, थाना कोतवाली नगर।
15. मु0अ0सं0 534/16, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना लालगंज।
16. मु0अ0सं0 222/17, धारा 307/34/504/506 भादवि व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, थाना लालगंज।
17. मु0अ0सं0 231/17, धारा 307/504/506 भादवि, थाना लालगंज।
18. मु0अ0सं0 251/17, धारा 41/411/419/420/467/468 भादवि, थाना लालगंज।
19. मु0अ0सं0 252/17, धारा 25/29/30 आर्म्स एक्ट, थाना लालगंज।
20. मु0अ0सं0 253/17, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना लालगंज।
21. मु0अ0सं0 327/17, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना लालगंज।
22. मु0अ0सं0 568/17, धारा 302/120बी भादवि, थाना लालगंज।
23. मु0अ0सं0 575/17, धारा 302 भादवि, थाना लालगंज।
24. मु0अ0सं0 579/17, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना लालगंज।
25. मु0अ0सं0 599/19, धारा 307/504/506 भादवि, थाना लालगंज।
26. मु0अ0सं0 606/19, धारा 307 भादवि, थाना लालगंज।
27. मु0अ0सं0 607/19, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना लालगंज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़:
उ0नि0 रामनरेश
का0 राहुल यादव
रि0म0 का0 उर्मिला चौहान